न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 8451/2015

GCMS NO. : 2015/00275

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. अणदारामपुत्र गोकलराम जाति–बावरी 2. भाकरराम पुत्र गोकलराम जाति–बावरी,निवासी–निम्बोल, तहसील–जैतारण ।		1. बाबू उर्फ पाबु पुत्र गोकलराम जाति–बावरी निवासी–निम्बोल, तहसील–जैतारण। 2. उपपंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू: 17/07/2015

उपस्थितः– 1. श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री राकेश वैष्णव, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

दिनॉक: 25/05/2022

–:: निर्णय ::–

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–निम्बोल पटवार सर्कल निम्बोल में खसरा संख्या 38/1180 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि आयी हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि पर सायलान एवं गैरसायलान संख्या 01 के पिता काश्त करते थे तथा खसरा परिवर्तन सम्वत 2031 व 2032 में उपरोक्त कृषि भूमि गोकलपुत्र रूघनाथ बावरी निवासी–निम्बोल के नाम दर्ज है। जिस पर सायलान व गैरसायल संख्या 01 के पिता बिना किसी रोकटोक के काश्त करते थे। वादी व गैरसायल के पिता के नाम उपरोक्त दस्तावेज के अलावा सम्वत 2037, 2038, 2039 के खसरा परिवर्तनशील में भी कृषक के रूप में नाम दर्ज है जिसकी नकलें प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। सायलान व गैरसायल तीनों सगे भाई है जो गोकल पुत्र रूघनाथ की संतान है। खसरा संख्या 38/1180 रकबा 10 बीघा पर सायलान व गैरसायल के पिता काश्त करते थे गैरसायल जो कि गोकलपुत्र रूघनाथ का जो सबसे बड़ा पुत्र था उपरोक्त जमीन गैरसायल के नाम आवंटन की गयी सायलान के नाम आवंटन पत्र में सम्मिलित नहीं कर केवल पाबू उर्फ बाबू के नाम आंवटन पत्र जारी किया गया, जो एक रोंग गलत व आधारहीन इन्द्राज है। उपरोक्त जमीन गोकल पुत्र रूघनाथ के कब्जे की जमीन होने से सायलान [illegible] कब्जा बतौर उतराधिकारी बिना किसी रोकटोक के चला आ रहा है [illegible] सायलान व गैरसायल का बराबर हक हिस्सा व अधिकार है तथा हिस्सेदार [illegible] पर काबिज है तथा काश्त करते है। सायलान व गैरसायल के पिता जीवित [illegible]ते समय इनके [illegible] ने अपने जीवनकाल में ही गैरसायलसंख्या 01 के नाम आवंटित कृषि भूमि अपने तीनों पुत्रों

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

के मध्य 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से के रूप में सायलान व गैरसायल के बीच में विभाजित कर दी थी। उसी अनुसार मोके पर सायलान व गैरसायल काश्त करते रहे गैरसायल संख्या 01 के नाम जारी आवंटन पत्र रद्द व शून्य किये जाने योग्य है क्योंकि उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल संख्या 01 की न तो स्वअर्जित भूमि है न ही अकेले का कभी कब्जा रहा है। सायलान व गैरसायल के पिता की मृत्यु होने के पश्चात खसरा नंबर 38/1180 आवंटन जो कि राजस्व रेकर्ड में गैरसायल के नाम गोकल पुत्र रूघनाथ के सबसे बड़े पुत्र होने के कारण दर्ज होने के आधार पर गैरसायल सायलान की उनके हक हिस्से की जमीन से बेदखल करना चाहते है लेकिन बावरी समाज के सभी व्यक्तियों को इस चीज की जानकारी होने के कारण दिनांक 13.05.2012 को सायलान व प्रतिवादी के बीच में उनके पिता के किये गये हिस्सेनुसार तीनों भाईयों के मध्य लिखापढी की गयी थी। जिसमें भी सायलान व गैरसायल का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा होना अंकित किया गया है जिस पर समाज के पंचो द्वारा हस्ताक्षर किये गये है जिसकी नकल भी प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। वर्तमान में सिद्धि विनायक फैक्ट्री द्वारा जमीन खरीदने की वजहसे सायलान व गैरसायल के कब्जे काश्त की जमीन की कीमत बढ जाने के कारण गैरसायल अपना नाम राजस्व रेकर्ड में होने के आधार पर अकेला ही बैचान करना चाहता है उपरोक्त जमीन बाबत सायलान व समाज के व्यक्तियों नले निम्बोल से आयोजित दिनांक 29.05.2015 को राजस्व कैम्प में जरिये राजीनामा सायलान के नाम उनके हक हिस्से अनुसार दर्ज करवाने की बात कहने पर गैरसायलने स्पष्ट मना कर दिया तथा गैरसायल ने स्पष्ट मना कर दिया तथा गैरसायल ने उपरोक्त जमीन उनके अकेले के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है इसलिये बैचान करना चाहते है जबकि गैरसायल को सायलान के हिस्से व कृषि भूमि को बेचान करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। गैरसायल सायलान के हिस्से की कब्जे की कृषि भूमि को बेचान कर देता है तो सायलान के हक व अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा सायलान को असीम क्षति होगी। सायलान अपने हक व अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। सायलान को आर्थिक व साम्पतिक नुक्शान कारित होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगी। गैरसायल को उपरोक्त जमीन का बैचान हस्तांतरण करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना कानून आवश्यक है। उपरोक्त जमीन अविभाजित है। सायलान अपने हिस्से का बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के अपना हिस्सा अलग कराने के अधिकारी है। बगैर बंटवाड़ा सायलान अपनी जमीन को उन्नत नहीं कर सकते है ना ही उस पर लोन इत्यादि ले सकते है इसलिए सायलान की ओर से बंटवाड़ा का श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है। उपरोक्त जमीन का बेचान हस्तांतरण से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण ने जवाब प्रार्थना पेश किया, जो सामिल मिसल है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 का जवा है कि सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का-निम्बोल में

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
... जिला-पाली

खसरा नंबर 38/1180 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी की कृषि भूमि आई हुई है उक्त सम्पूर्ण भूमि का गैरसायल संख्या 01 खातेदार काश्तकार है शुरू से लेकर आज दिन तक गैरसायल संख्या 01 का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है एवं उक्त भूमि दिनांक 22.04.1976 को आवंटन होकर नामान्तकरण संख्या 552 के जरिए गैरसायल का नाम राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया गया एवं गैरसायल संख्या 01 का उक्त सम्पूर्ण जमीन पर कब्जा काश्त होने के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1466 दिनांक 01.11.1995 के जरिए गैर सायल संख्या 01 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार गैर सायलसंख्या 01 के कब्जा काश्तकार के आधार पर प्राप्त हुये उक्त आराजी पर गोकलराम का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा एवं आज भी गैर सायल संख्या 01 का ही कब्जाकाश्त है उक्त तथ्य के अलावा पुरा फिकरा गलत है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि सायलान द्वारा यह लिखना कि खसरा नंबर 38/1180 रकबा 10 बीघा पर सायलान व गैरसायल के पिता काश्त करते थे जो सरासर गलत है गैरसायल संख्या 01 अपनी समझ समझाईश से अपने पिताजी से अलग रहने लगा, एवं उक्त जमीन पर गैर सायलसंख्या 01 का कब्जे काश्त के आधार पर गैर सायल संख्या 01 द्वारा आवंटन आवेदन पत्र पेश करने पर राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायल संख्या 01 के नाम उक्त आराजी आवंटन की गई इसलिए उक्त आराजी में सायलान का कोई हक, हिस्सा अधिकार प्राप्त नहीं होते है आवंटन पत्र में किसी प्रकार की रोग गलत व आधारहीन इन्द्राज नहीं होकर सही व विधिवत जाचंकर सब डिविजन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया सायलान ने केवल मात्र उक्त वाद पेश करने के लिए झूठे तथ्य लिखकर दावा गैरसायल के विरुद्व पेश किया। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 03 का जवाब है कि सायलान व गैरसायलसंख्या 01 के पिता गोकलराम का देहान्तआज से लगभग 15 वर्ष पूर्व ही हुआ है। जबकि गैरसायल संख्या 01 को उक्त आराजी आज से 45 वर्ष पूर्व आवंटन हुई है गैरसायल संख्या 01 पाबूराम को उनके पिता गोकलराम ने पाबूराम की शादी होते ही अलग कर दिया। इसलिए सायलान शुरू से ही अलग काश्त करता आ रहा है। इसलिए सायलान शुरू से ही अलग काश्त करता आ रहा है। गैरसयल संख्या 01 पाबूराम के नाम आवंटन सुदा भूमि खसरा नंबर 38/1180 में सायलान का कोई हक हिस्सा नहीं हैं गैरसायल संख्या 01 के नाम उक्त भूमि आंवटन हुई उस समय वादी संख्या 02 भाकरराम का जन्म ही नहीं हुआ था व वादी संख्या 01 केवल मात्र 02 वर्ष का था वादी संख्या 01 अणदाराम के जन्म से पहले ही गैर सायल संख्या 01 अणदाराम के जन्म से अलग कर दिया था। इसलिए उक्त आराजी का शामलाती काश्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त आराजी बाबत किसी प्रकार की लिखत नहीं हुई सायलान ने केवल मात्र उक्त वाद पेश करने के आशय से गलत लिखे है। उक्त तथ्य के अलावा पुरा फिकरा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 गलत होने से अस्वीकार है कि सायलान ने केवल मात्र पेश करने की गरज से लिखा कि वर्तमान में सिद्वि विनायक फैक्ट्री द्वारा जमीन खरीदने की वजह से जमीन की कीमत बढने जाने के कारण गैरसायलान अकेला ही बैचान करना चाहता है जो सरासर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
सोजत, जिला-पाली

लत है क्योंकि गैरसायल संख्या 01 के नाम कृषि भूमि खसरा संख्या 38/1180 रकबा 10 बीघा भूमि गैर सायलान संख्या 01 अकेले के नाम आवंटन शुदा भूमि है गैर सायल संख्या 01 का ही मौके पर कब्जा काश्त शुरू से चला आ रहा है। उक्त आंवटन से उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में गैरसायल संख्या 01 का नाम दर्ज है यानि गैर सायल संख्या 01 उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार है एवं कानून की मंशा है कि खातेदार काश्तकार के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है उक्त आराजी पर सायलान का कोई कब्जा काश्त ही नहीं है तो अपने हक अधिकारों से वंचित रहने व आर्थिक व साम्पतिक नुक्शान कारित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए गैरसायल द्वारा उपरोक्त जमीन का बैचान हस्तांतरण करने से जरिए अस्थाई निषेधाषा से रूकवाने के सायलान कानुनन अधिकारी नहीं है। मौके पर सायलान का कोई कब्जा काश्त नहीं है व राजस्व रेकर्ड में नाम ही नहीं है तो सायलान बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के अपना हिस्सा अलग कराने के अधिकारी नहीं है सायलान गैरसायल संख्या 01 के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। गैरसायल संख्या 1 के नाम आवंटन शुदा भूमि जो गैरसायल संख्या 01 के कब्जे काश्त की होने से सायलान किसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से सायलान गैरसायल संख्या 01 के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

गैरसायल संख्या 01 की ओर से लिखित बहस पेश हुई। लिखित बहस में व्यक्त किया कि सरहद मौजा निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल में खसरा नंबर 38/1180 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी की कृषि भूमि आई हुई है। उक्त सम्पूर्ण भूमि का गैर सायल संख्या 01 खातेदार काश्तकार है शुरू से लेकर आज दि तक गैर सायल संख्या 01 का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है एवं उक्त भूमि दिनांक 22.04.1976 को आवंटन होकर नामान्तकरण संख्या 552 के जरिए गैरसायल का नाम राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया गया एवं गैरसायल संख्या 1 उक्त सम्पूर्ण जमीन पर कब्जा काश्त होने के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1466 दिनांक 01.11.1995 के जरिए गैरसायल संख्या 01 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार गैरसायल संख्या 01 के कब्जा काश्तकार के आधार पर प्राप्त हुये उक्त आराजी पर गोकलराम का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा एवं एवं आज भी गैर सायल संख्या 01 का ही कब्जा काश्त है गैरसायल संख्या 01 के कब्जा काश्त के आधार पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधिवत जांच कर आवंटन की गई, जो सही व विधिवत है। सायलान व गैर सायलसंख्या 01 के पिता गोकलराम का देहान्त आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व ही हुआ हैं। जबकि गैर सायल संख्या 01 को उक्त आराजी से 45 वर्ष पूर्व आवंटन हुई है गैर सायल संख्या 01 पाबूराम को उनके पिता गोकलराम ने पाबूराम की शादी हो[illegible] अलग कर दिया गया।इसलिए सायलान शुरू से ही काश्त करता [illegible] 01 पाबूराम के नाम आवंटन सुदा भूमि खसरा नंबर 38/1180 में [illegible] का कोई हक हिस्सा नहीं है। गैर सायलान संख्या 01 के नाम उक्त भूमि आवंट[illegible] हुई उस समय वादी संख्या 02 भाकरराम का जन्म ही नहीं हुआ था व वादी संख्या 01 केवल मात्र 02-03 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

था वादी संख्या 01 अणदाराम के जन्म से पहले ही गैर सायल संख्या 01 को उसके पिता जी ने अलग कर दिया था। इसलिए उक्त आराजी का शामलाती काश्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त आराजी बाबत किसी प्रकार की लिखत नहीं हुई । सायलान ने केवल मात्र उक्त वाद पेश करने के आशय से तथ्य गलत लिखे है। वादपत्र में वर्णित केवलमात्र गैर सायलसंख्या 01 के नाम आवंटन गैर सायलसंख्या 01 के कब्जे काश्त के आधार पर हुई है इसलिए उक्त उक्त आराजी में सायलान का कानूनन कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। गैरसायल संख्या 01 के नाम आवंटन सुदा भूमि जो भूमि गैरसायल संख्या 01 के कब्जे काश्त की होने से सायलान किसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से सायलान गैरसायलान संख्या 01 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से सायलान का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र व्यय खर्चा खारिज फरमाया जावें। सायलान ने 145 सीआरपीसी की कार्यवाही का मौके का नजरी नक्शा पेश किया उसमें गेर सायल संख्या 01 का कब्जा काश्त वर्णित किया हुआ है यानि सायलान का मौके पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है न ही कब्जे बाबत कोई दस्तावेज पेश किया हैं उक्त आराजी का गैर सायलान रिकॉडिड खातेदार है और उसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

विद्वान अधिक्ता अप्रार्थीगण ने निम्न न्यायिक नजीरें पेश कीः–

1- RRT - 2013 (1) PAGE- 123
2- RRT - 2014 (1) PAGE- 523

हमनें उपर्युक्त न्यायिक नज़ीरों का ससम्मान अध्ययन, अवलोकन एवं मनन करते हुए प्रार्थना–पत्र के अंतिम विनिश्चय करने में इनका यथोचित उपयोग किया। बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली एवं उस पर राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं

1–प्रथमदृष्ट्या मामलाः– उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में खसरा नंबर 38/1180 रकबा 10 बीघा राजस्व ग्राम–निम्बोल तहसील–जैतारण अप्रार्थी संख्या 01 को 22.04.1976 को आवंटित हुई तथा 01.11.1995 को अप्रार्थी संख्या 01 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। अतः प्रथमदृष्टतया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

2– सुविधा का संतुलन :– खसरा संख्या 38/1180 के संबंध में वर्तमान अभिलिखित राजस्व रिकार्ड के मुताबिक अप्रार्थी संख्या 01 व उक्त आराजी दर्ज है। अतः सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है।

3– अपूरणीय क्षति :– हस्तगत प्रार्थना पत्र की दलील में प्रथमदृष्ट्या मामला/सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते हैं अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि तीनों बिन्दु यथा प्रथमदृष्टतया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश को अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत मानते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भलीभांती साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज़ किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

निर्णय आज दिनॉक 25/05/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested